भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3430
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरो-स्पोर्ट्स के लिए सुरक्षा मानदंड

3430. श्री राजीव प्रताप रूडीः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पैराग्लाइडिंग और स्काडाइविंग जैसे एयरो-स्पोर्ट्स के लिए एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा मानक निर्धारित किए हैं जिनमें पायलट लाइसेंसिंग, उपकरण प्रमाणन, यात्री बीमा, प्रचालक प्रत्यायन और अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीर बिलिंग और कुल्लू-मनाली जैसे स्थानों पर तथा फरवरी, 2026 में पंचगनी में आयोजित पैराग्लाइडिंग विश्व कप सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान नौवहन की सटीकता, पायलट ट्रैकिंग के दौरान संकट की चेतावनी और साहसिक विमानन कार्यकलापों के लिए आपातकालीन सहायता हेतु गगन का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय वायु खेल नीति, 2022 के अंतर्गत भारतीय वायु खेल परिसंघ के प्रचालन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान पैराग्लाइडिंग और स्काइडाइविंग सहित एयरो-स्पोर्ट्स में कार्यकलाप-वार दुर्घटना, मृत्यु और गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं की संख्या क्या है; और

(ङ) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है जिनमें मौसम पूर्वानुमान में सुधार और वास्तविक समय पर परामर्श, भीड़ और प्रक्षेपण स्थल विनियमन, अंतर-एजेंसी समन्वय और पायलटों और प्रचालकों की जवाबदेही को सुदृढ़ करना शामिल है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) **:** नागर विमानन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हवाई खेल दिशानिर्देश, 2023 (एनएएसजी-2023) जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) के माध्यम से हवाई खेलों के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करता है। एनएएसजी पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग जैसी हवाई खेल गतिविधियों में गैर-अनुपालनों के लिए जुर्माना, निलंबन और रद्दकरण के प्रावधानों सहित शासन संरचना, संरक्षा, सुरक्षा, पंजीकरण, उड़ान अनुमति की रूपरेखा निर्धारित करता है।

नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए, वायुयान नियामवली, 1937 और उसके तहत जारी डीजीसीए की नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार ग्लाइडर, माइक्रो-लाइट्स, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट (एलएसए), जाइरोप्लेन, बैलून, ड्रोन, संचालित हैंग ग्लाइडर जैसी डीजीसीए विनियमित श्रेणियों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं और लाइसेंसिंग की निगरानी करता है।

(ख) : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली (एसबीएएस) के रूप में कार्यान्वित किया गया 'गगन', मुख्य रूप से नागर विमानन क्षेत्र के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उपयुक्त सुसज्जित विमानों और चालक दल के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(ग) : राष्ट्रीय हवाई खेल दिशानिर्देश 2023 ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 को प्रतिस्थापित किया है। एनएएसजी 2023 के अनुसार सचिव (नागर विमानन) की अध्यक्षता में एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) का गठन किया गया है।

(घ) : वर्तमान में, हवाई-खेल गतिविधियों से संबंधित दुर्घटना और घटना के आंकड़े बड़े पैमाने पर राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं। हवाई खेलों में दुर्घटनाओं, मौतों और गंभीर चोटों की रिपोर्ट, नागर विमानन महानिदेशालय को अनिवार्य रूप से नहीं दी जाती है।

(□): हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों सहित हवाई खेल गतिविधियों में सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं जैसे:-

i. डीजीसीए ने सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय हवाई खेल दिशानिर्देश, 2023 (एनएएसजी-2023) के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जिला अधिकारियों को दिशानिर्देश प्रसारित करने की सलाह दी है। डीजीसीए ने हवाई खेल गतिविधियों के लिए अनुमति देने से पहले प्रमुख सुरक्षा अपेक्षाओं के बारे में राज्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए उनके साथ भी बातचीत है।

ii. राज्यों को पैराग्लाइडिंग और अन्य हवाई खेलों के लिए व्यापक राज्य-स्तरीय दिशानिर्देश जारी करने या अद्यतन करने की सलाह दी गई है, जिसमें विमान/उपकरण रखरखाव, पायलट लाइसेंसिंग और रेटिंग, लॉन्च-साइट विनियमन, भीड़ प्रबंधन, अंतर-एजेंसी समन्वय, दुर्घटना और घटना रिपोर्टिंग तंत्र, बचाव व्यवस्था और मुआवजा के फ्रेमवर्क के सत्यापन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

iii. डीजीसीए ने पैराग्लाइडिंग सहित सभी हवाई खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षा, प्रशिक्षण, उड़ानयोग्यता, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और प्रवर्तन को कवर करने वाले व्यापक हवाई खेल नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

iv. एयरो क्लब ऑफ इंडिया (एसीआई-एनएसी इंडिया), एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएसएफआई) और डीजीसीए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं ताकि हवाई खेल गतिविधियों को सुरक्षा, लाइसेंसिंग, मान्यता और निरीक्षण से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के साथ संरेखित किया जा सके।

******